कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक:आर–01/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–17(गौतम0)/05 दिनांक:जनवरी 6 2017,

सेवा मे,

मुख्य वास्तुविद नियोजक,
नोएडा प्राधिकरण सेक्टर–06
गौतमबुद्धनगर।

विषय: **मैसर्स ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्टस इण्डिया लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–02 सेक्टर–107, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के (टावर आई0,जे0,के0,एल0,एम0,एन0,ओ0,पी0,क्यू0 एवं आर) कुल–10 टावरों की संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भ: यूआईडी:2016/26222/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/6026/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–प्रथम द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 04–01–2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई समस्त आख्याओ एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचना:– प्रश्नगत भवन की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या: भ–40/सीएफओ/जीबीएन–10 (1) दिनांक: अगस्त, 2010 के माध्यम से निर्गत की गयी है।

1–प्रश्नगत भवन का प्लाट एरिया–81,213.25 वर्ग मी0 है, तथा वर्तमान मे कतिपय आंशिक संशोधन किया गया है, तथा 10 अदद टावरों का एरिया विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	नाम टावर	तलों का विवरण	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
* 1	टावर–आई0	बेस0, भूतल एवं 29 तल	464.622	440.674	95.70
2	टावर–जे0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	653.84	629.816	70.50
3	टावर–के0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	653.84	629.816	70.50
4	टावर–एल0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	464.622	440.674	70.50
5	टावर–एम0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	464.622	440.674	70.50
6	टावर–एन0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	464.622	440.674	70.50
7	टावर–ओ0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	491.225	440.674	70.50
8	टावर–पी0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	463.68	421.285	70.50
9	टावर–क्यू0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	463.68	421.285	70.50
10	टावर–आर0	बेस0, भूतल एवं 21 तल	464.622	440.674	70.50

बेसमेन्ट एरिया:– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन मे बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–53395.874 वर्ग मी0 है। बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं के हेतु न्यूनतम 45 टन भार वहन क्षमता की बनायी जानी अनिवार्य होगी।

भवन का अधिभोग विवरण:– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:–

1–पहुॅच मार्ग:– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई–75 एवं 45 मीटर मानको के अनुसार अंकित की गई है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

2–सैटबेक:– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–25.00 मी0।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

* TOWER 'I' name is 'ANANDAM'.

बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।
डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3–निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02–02 स्टेयरकेस चौडाई–1.5प्रस्तावित है तथा बेसमेन्ट मे 02 रैम्प प्राविधानित है तथा प्रस्तावित निकास मार्गो की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है, **इण्टरनल स्टेयकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.9 से 4.9.10 तक तथा एक्सटरनल स्टेयरकेस का निर्माण एन0बी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.11 से 4.11.11 तक के अनुसार एवं रैम्प का निर्माण एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.14.1 से 4.14.3 के अनुसार किया जायेगा।**

4–रिफ्यूज एरियाः– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–होजरील/डाउनकमरः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित/वॉच्छनीय है।

2–भूमिगतः–प्रश्नगत परिसर मे अग्निशमन कार्यो हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है। जिसको आवेदक द्वारा उपलब्ध प्रश्नोत्तरी मे अंकित किया गया है।

3–पम्पसः– भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है। जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

4–टेरिस टैंकः–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5–वेटराईजरः– प्रस्तावित भवन मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–3844 मानको के अनुसार प्राविधानित है।

6–यार्ड हाईड्रेन्टसः– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः–प्रश्नगत भवनों के समस्त तलो पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– भवन के समस्त टावरो मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधानित है।

11–स्मोक एक्स्ट्रेक्शनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वेन्टीलेशन कट आउट प्राविधानित है।

12–एग्जिट साईनेजः– भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13–पी0ए0 सिस्टमः– भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

14–कम्पार्टमेन्टेशनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

15–प्रेशराईजेशनः– प्रश्नगत भवन मे आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन **एनबी0सी0 के भाग–4 के बिन्दु संख्या–4.10 से 4.10.7** के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15–प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0–2005 पार्ट–4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16–भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट–4 के प्रस्तर सी0–5,सी–6,सी–7,सी–8 एवं सी–9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।

17–भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्टस इण्डिया लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–02 सेक्टर–107, नौएडा जनपद गौतमबुद्वनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के (टावर आई0,जे0,के0,एल0,एम0,एन0,ओ0,पी0,क्यू0 एवं आर) कुल–10 **टावर** के

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।

4–मैसर्स ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्टस इण्डिया लि0 द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–02 सेक्टर–107, नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।